संख्या-58/112/58-2-2015-300(14)/2014

प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ:: दिनांक:: 10 फरवरी, 2015

विषय:- अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में लेखाशीर्षक-2401-119-01-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के.75/रा.25-के.+रा.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-4,73,72,867/- को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-321-22/बजट-आयोजनागत/2014-15, दिनांक: 28.01.2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-50/971/58-2-2014-300(14)/2014, दिनांक-13.11.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में आय-व्ययक (27-सब्सिडी मद) में प्राविधानित कुल धनराशि रू0-34,49,59 हजार (रूपये चौतीस करोड उन्चास लाख उनसठ हजार मात्र) के सापेक्ष 27-सब्सिडी मद में मुख्य योजना के लिए आपके द्वारा दिये गये प्रस्ताव के आधार पर पूर्व में स्वीकृत की गयी धनराशि के अतिरिक्त धनराशि रू0-4,73,72,867/- (रूपये चार करोड तिहत्तर लाख बहत्तर हजार आठ सौ सरसठ मात्र) जिसमें केन्द्रांश रू0-3,55,29,650/- एवं राज्यांश की धनराशि रू0-1,18,43,217/- सम्मिलित है, को निम्न विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने के निमित्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मिशन निदेशक भी हैं, के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

.....2/

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि रूपये में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक/ मद का नाम	कोड सं0/मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2014-15 का प्राविधान (अनुपूरक मांग सहित)	पूर्व में मुख्य योजना हेतु अब तक कुल अवमुक्त धनराशि	प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से मुख्य योजना के लिए अवमुक्त हेतु अतिरिक्त प्रस्तावित धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रांश आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं-0119-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (के075प्रतिशत/रा025 प्रतिशत - के0+रा0)	04-यात्रा व्यय	800000	-	-
		08-कार्यालय व्यय	1500000	-	-
		09-विद्युत देय	1000000	-	-
		11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4000000	-	-
		12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500000	-	-
		13-टेलीफोन पर व्यय	800000	-	-
		15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3000000	-	-
		16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	9000000	-	-
		18-प्रकाशन	700000	-	-
		27-सब्सिडी	344959000	196017000	47372867
		29-अनुरक्षण	2500000	-	-
		42-अन्य व्यय	15000000	-	-
		44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	700000	-	-
		46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2500000	-	-
		47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	1000000	-	-
		योग-	388959000	196017000	47372867

(रूपये चार करोड़ तिहत्तर लाख बहत्तर हजार आठ सौ सड़सठ मात्र)

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण बिना शासन की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने वाली मदों का पूर्ण विवरण स्वीकृत के प्रस्ताव के साथ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त समिति की संस्तुति एवं संगत अभिलेखों सहित शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण संबंधी प्रस्ताव भी इस कार्य हेतु गठित समिति के अनुमोदन के उपरान्त संगत प्रस्तावों के मदवार विवरण एवं समस्त अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे तथा शासन की अनुमति के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

(5) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।, दिनांक: 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

(6) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में निर्दिष्ट बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-58/ 112 (1)/58-2-2015, तद्दिनांक::</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://snasanadesh.up.nic.in